रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264935
CG-DL-E-24072025-264935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947
No. 452]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 495(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार, समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संगठन में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संगठन, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	12*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए) ।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 4 (25500-81100/रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण अर्हित किया हो। **टिप्पण :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/रु.) में उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा आठ वर्ष होगी और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 02	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय –अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय -सदस्य; 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 4 (25500-81100/रु.) या समतुल्य में ऐसे अपर श्रेणी लिपिक या ज्येष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय –अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय -सदस्य; 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय – सदस्य।	

जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष' से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/1/2017-ए (एनजी)]

गौरव कटियार, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Office of the Development Commissioner)

(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

G.S.R. 495(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Small Industries Development Organisation (Senior Accountant, Group 'B' post) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Junior Accounts Officer in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Junior Accounts Officer, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.-** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5.**Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6.**Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Accounts Officer	12*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Non-Gazetted Non Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk in the pay level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service in the grade and have qualified the training in Cash and Accounts from the Institute of Secretariat Training and Management or any institute recognised by the Central Government or State Government. **Note:** Eligibility service for promotion shall be eight years for existing incumbents holding the post of Upper Division Clerks in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) on regular basis on the date of notification of these rules and who have undergone training in Cash and Accounts from the Institute of Secretariat Training and Management or any institute recognized by the Central Government or State Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and who have undergone training in Cash and Accounts from the Institute of Secretariat Training and Management or any institute recognised by the Central Government or State Government and possessing two years of experience in cash, accounts and budget work; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level-5 in the pay matrix (Rs 29200-92300/-) or equivalent in the parent cadre or department and who have	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Additional Development Commissioner (Administration) or Joint Development Commissioner (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Chairperson; 2. Deputy Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member; 3. Assistant Director Grade-I, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) –Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Development Commissioner (Administration) or Joint Development Commissioner (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Chairperson; 2. Deputy Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member; 3. Assistant Director Grade-I, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

undergone training in Cash and Accounts from the Institute of Secretariat Training and Management or any institute recognised by the Central Government or State Government and possessing two years of experience in cash, accounts and budget work; or (iii) Upper Division Clerks or Senior Secretariat Assistants in the pay level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100/-) with ten years' regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or department and who have undergone training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management or any institute recognised by the Central Government or State Government and possessing two years of experience in cash, accounts and budget work. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years' as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/1/2017-A(NG)]

GAURAV KATIYAR, Jt. Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA